भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 398
(25.02.2015 को उत्तर के लिए)

शिकायतों का समाधान

398. श्री रवनीत सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उसके द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली पात्र वस्तुएं तथा सेवाएं न मिलने से संबंधित शिकायतों के समयबद्ध तथा प्रभावी समाधान को सुनिश्चित करने के लिए एक विधान लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय एवं राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री का कार्यालय
(डा. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ग) सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली पात्र वस्तुएं तथा सेवाएं न मिलने से संबंधित शिकायतों के समयबद्ध तथा प्रभावी समाधान को सुनिश्चित करने के लिए सरकार एक विधान लाने हेतु प्रतिबद्ध है । तथापि, इस स्तर पर संसद में ऐसे किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने हेतु वास्तविक समय सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता है ।

****

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 216
(11.03.2015 को उत्तर के लिए)

कागज रहित कार्यालय

***216. श्री बी. विनोद कुमार :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सभी सरकारी मंत्रालयों/विभागों को कागज का इस्तेमाल कम करने तथा कागज रहित कार्यालय बनाने के लिए उपाय करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए किसी अभिकरण को नियुक्त किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय एवं राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री का कार्यालय (डा. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

****

कागज रहित कार्यालय के बारे में माननीय संसद सदस्य श्री बी. विनोद कुमार द्वारा 11 मार्च, 2015 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 216 के संबंध में विवरण ।

(क) से (ग) :सरकार ने माननीय प्रधान मंत्री के निदेशों के अनुसार डिजीटल भारत कार्यक्रम की शुरूआत की है जो 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम सुशासन' पर केंद्रित है । डिजीटल भारत कार्यक्रम में आदि से अंत तक प्रक्रिया अनुकूलन तथा नई और मौजूदा ई-गवर्नेंस पहल में व्यापक कार्य प्रक्रिया पुन: अभियांत्रिकी एवं ई-प्लेटफार्म पर सेवाओं के एकीकरण की परिकल्पना की गई है । 'ई-ऑफिस' परियोजना सरकार की 'ई-गवर्नेंस' पहलों में से एक पहल है । इस परियोजना में कागज, दस्तावेजों और वास्तविक रूप में फाइलों के न्यूनतम प्रयोग तथा कार्यालय कार्य-प्रवाह को सरल और कारगर बनाने की परिकल्पना की गई है । डिजीटल भारत कार्यक्रम जिसमें ई-गवर्नेंस एक महत्वपूर्ण घटक है, के कार्यान्वयन को मानीटर करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति का गठन किया गया है । इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई), भारत सरकार को डिजीटल भारत कार्यक्रम के समन्वयन का कार्य सौंपा गया है जिसे केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है ।

****

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3658
(18.03.2015 को उत्तर के लिए)

सरकारी सेवाओं के कार्यकरण में सुधार

3658. श्रीमती हेमा मालिनी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र और राज्य स्तर पर प्रशासन के कार्यकरण में कमियों के कारण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक लाभ नहीं पहुंच रहे हैं;
(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) क्या सरकार का समाज के सभी वर्गों को देश के विकास का उचित लाभ प्रदान करने के लिए सरकारी सेवाओं के कार्यकरण में प्रमुख सुधार लाने का प्रस्ताव है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय एवं राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री का कार्यालय
(डा. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (घ) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित समाज के सभी वर्गों को विकास का लाभ मिल सके । जहां कहीं भी बाधाएं महसूस की जाती हैं वहां प्राथमिकता के आधार पर उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है ।

सरकारी सेवाओं के कार्यकरण में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है । प्रधान मंत्री जन-धन योजना, ई-गवर्नेंस पहल, डिजीटल भारत, एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष लाभ स्कीम, स्वच्छ भारत अभियान आदि जैसी स्कीमें हाल ही में इस दिशा में किए गए कतिपय पहल हैं ।

****

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3584
(18.03.2015 को उत्तर के लिए)

लोक सुधार संबंधी प्रशासनिक सुधार आयोग

3584. श्रीमती सकुंतला लागुरी :
डॉ. सुभाष रामराव भामरे :
श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोक सुधार संबंधी प्रशासनिक सुधार आयोग स्थापित किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विचारार्थ विषय क्या है;
(ग) क्या उक्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यदि हां, तो आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय एवं राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री का कार्यालय
(डा. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ङ.) लोक प्रशासन प्रणाली की पुनर्संरचना के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करने हेतु वर्ष 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था । आयोग से सरकार के सभी स्तरों पर एक सक्रिय, अनुक्रियाशील, जवाबदेह, सतत और कुशल प्रशासन प्रदान करने के लिए उपायों का सुझाव देने का अनुरोध किया गया था । विचारार्थ विषयों को दर्शाने वाले संकल्प की प्रति (अनुबंध-I) के रूप में संलग्न है । वर्ष 2009 में इसकी समाप्ति से पहले इसने शासन के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रीय सरकार को 15 रिपोर्टें (अनुबंध-II) प्रस्तुत कीं । इनमें की गई 1514 सिफारिशों में से सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए 1183 सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं । ब्यौरा अनुबंध-III के रूप में संलग्न है ।

****

अनुबंध -I

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

संकल्प

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2005

सं. के-11022/9/2004-आर. सी. - राष्ट्रपति, लोक प्रशासन पद्धति की पुनर्संरचना के संबंध में एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिए एक जांच आयोग, जिसे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ए.आर.सी.) कहा जाएगा, सहर्ष गठित करते हैं ।

2. आयोग में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

i.	डॉ. वीरप्पा मोइली	-	अध्यक्ष
ii.	श्री वी. रामचन्द्रन	-	सदस्य
iii.	डॉ. ए.पी. मुखर्जी	-	सदस्य
iv.	डॉ. ए.एच. कालरो	-	सदस्य
v.	डॉ. जयप्रकाश नारायण	-	सदस्य*
vi.	श्रीमती विनीता राय	-	सदस्य-सचिव

3. आयोग, सरकार के सभी स्तरों पर, देश के लिए एक सक्रिय, प्रतिक्रियाशील, जवाबदेह, संधारणीय और कुशल प्रशासन प्राप्त करने के संबंध में उपायों का सुझाव देगा ।

अन्य बातों के साथ-साथ आयोग निम्नलिखित पर विचार करेगा :

i. भारत सरकार का संगठनात्मक ढांचा
ii. शासन में नैतिकता
iii. कार्मिक प्रशासन की पुनर्संरचना
iv. वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण
v. राज्य स्तर पर प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए उपाय
vi. प्रभावी जिला प्रशासन सुनिश्चित करने के उपाय
vii. स्थानीय स्व:शासन/पंचायती राज संस्थान
viii. सामाजिक पूंजी, विश्वास और भागीदारीपूर्ण सरकारी सेवा प्रदान करना
ix. नागरिक-केन्द्रिक प्रशासन
x. ई-अधिशासन प्रोत्साहित करना
xi. संघीय राजतंत्र के मुद्दे

xii. संकट प्रबंधन

xiii. सार्वजनिक व्यवस्था

प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत जिन मुद्दों की जांच की जाएगी उनमें से कुछेक का उल्लेख विचारार्थ विषयों में किया गया है जो इस संकल्प की अनुसूची के रूप में संलग्न हैं ।

4. आयोग, रक्षा, रेलवे, विदेश कार्य, सुरक्षा और आसूचना के प्रशासन और साथ ही केंद्र-राज्य संबंधों, न्यायिक सुधारों आदि जैसे विषयों को भी अपने विस्तृत जांच से अलग रख सकता है, जिनकी पहले ही अन्य निकायों द्वारा जांच की जा रही है । तथापि, आयोग, सरकार अथवा इसकी किसी सेवा एजेंसी के तंत्र के पुनर्गठन की सिफारिशें करते समय इन क्षेत्रों की समस्याओं को ध्यान में रखने में रखने में स्वतंत्र होगा ।

5. आयोग, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने की जरूरत पर समुचित रूप से ध्यान देगा ।

6. आयोग, अपनी स्वयं की प्रक्रियाएं तय करेगा (राज्य सरकारों के साथ परामर्श सहित, जो आयोग द्वारा उपयुक्त समझी जाएं) तथा अपनी सहायतार्थ समितियां, परामर्शदाता/सलाहकार नियुक्त कर सकता है । आयोग, इस विषय पर उपलब्ध विद्यमान सामग्री और रिपोर्टों को ध्यान में रख सकता है और सभी मुद्दों पर प्रारंभ से विचार करने के प्रयास की बजाए, उन्हीं पर अपनी राय आधारित कर सकता है ।

7. भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आयोग को ऐसी जानकारी और दस्तावेज तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे जो आयोग द्वारा अपेक्षित हों । भारत सरकार को भरोसा है कि राज्य सरकारें व सभी अन्य संबंधित व्यक्ति/संगठन आयोग को अपना पूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे ।

8. आयोग, अपनी रिपोर्ट/रिपोर्टें अपने गठन को एक वर्ष के अंदर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

ह0/-

(पी.आई. सुवराथन)

अपर सचिव, भारत सरकार

अनुबंध-II

रिपोर्टों की सूची

(i) सूचना का अधिकार : सुशासन के लिए मुख्य कुंजी

(ii) मानव सम्पदा का व्यापक विस्तार : हकदारियां और अधिशासन - एक मामला अध्ययन

(iii) संकट प्रबंधन : निराशा से आशा की ओर

(iv) शासन में नैतिकता

(v) सार्वजनिक व्यवस्था : सभी के लिए न्याय.....सभी के लिए शांति

(vi) स्थानीय अधिशासन

(vii) विवाद समाधान हेतु क्षमता निर्माण - संघर्ष से संयोजन तक

(viii) आतंकवाद का सामना करना

(ix) सामाजिक सम्पदा - एक साझी नियति

(x) कार्मिक प्रशासन का पुनर्गठन - नई ऊँचाईयों तक पहुंचना

(xi) ई-गवर्नेंस को प्रोत्साहित करना - उन्नति की ओर बढ़ना

(xii) नागरिक केन्द्रिक प्रशासन - शासन का केन्द्र बिंदु

(xiii) भारत सरकार का संगठनात्मक ढांचा

(xiv) वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत बनाना

(xv) राज्य और जिला प्रशासन

अनुबंध-III

मंत्री समूह द्वारा विचार किए गए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की स्थिति

रिपोर्ट सं.	सिफारिशों की कुल संख्या	स्वीकृत	अस्वीकृत	आस्थगित	अन्यों को संदर्भित
सूचना का अधिकार : सुशासन के लिए मुख्य कुंजी **(पहली रिपोर्ट)**	62	39	23	-	
मानव सम्पदा का व्यापक विस्तार : हकदारियां और अधिशासन - एक मामला अध्ययन **(दूसरी रिपोर्ट)**	114	88	26	-	
संकट प्रबंधन : निराशा से आशा की ओर **(तीसरी रिपोर्ट)**	142	136	6	-	
शासन में नैतिकता **(चौथी रिपोर्ट)**	134	79	34	-	21
सार्वजनिक व्यवस्था : सभी के लिए न्याय.....सभी के लिए शांति **(पांचवीं रिपोर्ट)**	165	127	31	7	-
स्थानीय अधिशासन **(छठी रिपोर्ट)**	256	230	24	2	
विवाद समाधान हेतु क्षमता निर्माण - संघर्ष से संयोजन तक **(सातवीं रिपोर्ट)**	126	111	15		
आतंकवाद का सामना करना **(आठवीं रिपोर्ट) @**	23 (गृह मंत्रालय)				
सामाजिक सम्पदा - एक साझी नियति **(नौवीं रिपोर्ट)**	66	36	11	19	
कार्मिक प्रशासन का पुनर्गठन - नई ऊँचाईयों तक पहुंचना **(दसवीं रिपोर्ट)**	98	51	17	30	
ई-गवर्नेंस को प्रोत्साहित करना - उन्नति की ओर बढ़ना **(ग्यारहवीं रिपोर्ट)**	47	46	1	--	--
नागरिक केन्द्रिक प्रशासन - शासन का केन्द्र बिंदु **(बारहवीं रिपोर्ट)**	50	41	9		
भारत सरकार का संगठनात्मक ढांचा **(तेरहवीं रिपोर्ट)**	37	32	5		
वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत बनाना **(चौदहवीं रिपोर्ट)**	36	33	2	1	
राज्य और जिला प्रशासन **(पन्द्रहवीं रिपोर्ट)**	158	134	24	--	--
	1514	**1183**	**228**	**59**	**21**

@ गृह मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जा रही है

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5910
(29.04.2015 को उत्तर के लिए)

लोक प्रशासन में सुधार

5910. श्री भरत सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोक प्रशासन में सुधार लाने के लिए कोई नीति तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कुछ अन्य देशों के साथ विचार विनिमय और अच्छी पद्धतियों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अपनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है; और

(घ) सरकार द्वारा लोक प्रशासन को पारदर्शी और इसे भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए नागरिकों के प्रति अधिक जवाबदेह करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय एवं राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री का कार्यालय
(डा. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (घ) लोक प्रशासन में सुधार स्वाभाविक तौर पर एक सतत प्रक्रिया है जो कार्यकलापों के एक व्यापक क्षेत्र को कवर करता है । इसे प्रक्रियाओं के सरलीकरण, कार्यकारी अनुदेश जारी करने, कानूनों के अधिनियमन आदि के जरिए किया जा सकता है । भारत सरकार ने वर्ष 2004 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) गठित किया था जिसने शासन के विविध पहलुओं के संबंध में 15 रिपोर्टें प्रस्तुत की थी। इनमें की गई 1514 सिफारिशों में से 1183 सिफारिशों को सरकार द्वारा कार्यान्वयन हेतु स्वीकार कर लिया गया है। स्वीकृत सिफारिशों से संबंधित निर्णयों को कार्यान्वयन हेतु सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सूचित कर दिया गया है। सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भी क्रमशः अपने सचिव और मुख्य सचिव/प्रशासकों की अध्यक्षता में एक संस्थागत तंत्र का गठन करने का अनुरोध किया गया है ताकि इसके कार्यान्वयन को

.....जारी/2

मॉनीटर किया जा सके। प्रधान मंत्री जन-धन योजना, मेरी सरकार, डिजीटल भारत, एलपीजी सब्सिडी की प्रत्यक्ष लाभ निधि अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को और अधिक निधियों का आवंटन आदि सरकार द्वारा हाल ही में किए गए कतिपय सुधार उपाय हैं । भारत सरकार ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में मलेशिया, चीन, सिंगापुर, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं । कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जो भ्रष्टाचार से संबंधित विषय पर कार्य करता है, ने सूचित किया है कि केंद्र सरकार 'भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहिष्णुता' की अपनी नीति को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा भ्रष्टाचार का मुकाबला करने और सरकार के कार्यकरण में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए हैं जो इस प्रकार हैं:-

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियमन ;

(ii) लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2013 का अधिनियमन ;

(iii) सूचना प्रपाता संरक्षण विधेयक, 2011 का अधिनियमन ;

(iv) केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निविदा और ठेका देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता के संबंध में व्यापक अनुदेश जारी करना । 5 लाख रूपये से अधिक की निविदाओं को अनिवार्य रूप से ई-प्रापण के माध्यम से प्रोसेस किया जाना है ।

(v) केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अनुदेश जारी किया गया है जिसमें संगठनों से प्रमुख सरकारी प्रापण कार्यकलापों में सत्यनिष्ठा वचन-पत्र का पालन करने के लिए कहा गया है, राज्य सरकारों को भी प्रमुख प्रापणों में सत्यनिष्ठा वचन-पत्र का अनुपालन करने की सलाह दी गई है ;

(vi) ई-गवर्नेंस की शुरूआत करना और प्रक्रियाओं और प्रणालियों का सरलीकरण ;

(vii) नागरिक चार्टर जारी करना ;

(viii) वर्ष 2011 में भ्रष्टाचार के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएसी) का अनुसमर्थन;

(ix) लोकपाल अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं के सभी अधिकारियों तथा केंद्र सरकार के अन्य समूह 'क' अधिकारियों की अचल संपत्तियों की विवरणी का ब्यौरा लोक प्रक्षेत्र में रखना ।

(x) विभिन्न राज्यों में अनन्य रूप से सीबीआई मामलों के विचारण के लिए 92 अतिरिक्त विशेष न्यायालयों की स्थापना ।

****

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5795
(29.04.2015 को उत्तर के लिए)

शासन में सुधार

5795. श्री रामसिंह राठवा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सरकारी सेवाओं के कार्यकरण में प्रमुख सुधार लाने का विचार है ताकि समाज के प्रत्येक तबके को देश के विकास का समुचित लाभ मिल सके;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या देश में केन्द्र और राज्य स्तर पर प्रशासन में कमियों के कारण समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को लाभ नहीं मिल रहा है; और
(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय एवं राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री का कार्यालय
(डा. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (घ) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित समाज के सभी वर्गों को विकास का लाभ मिल सके । जहां कहीं भी बाधाएं महसूस की जाती हैं वहां प्राथमिकता के आधार पर उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है । सरकारी कार्यकरण में सुधार एक सतत प्रक्रिया है जो कार्यकलापों के एक व्यापक क्षेत्र को कवर करता है । इसे प्रक्रियाओं के सरलीकरण, कार्यकारी अनुदेश जारी करने, कानूनों के अधिनियमन आदि के जरिए किया जा सकता है । प्रधान मंत्री जन-धन योजना, मेरी सरकार, डिजीटल भारत, एलपीजी सब्सिडी की प्रत्यक्ष लाभ निधि अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को और अधिक निधियों का आवंटन आदि सरकार द्वारा हाल ही में किए गए कतिपय सुधार उपाय हैं । इन उपायों से भी समाज के कमजोर वर्ग लाभान्वित हुए ।

****

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 6546
(06.05.2015 को उत्तर के लिए)

शिकायतों का निवारण

6546. श्रीमती हेमा मालिनी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की गैर-सुपुर्दगी से संबंधित नागरिकों की शिकायतों के समयबद्ध और प्रभावी निवारण को सुनिश्चित करने हेतु विधान लाने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक ऐसा विधेयक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय एवं राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री का कार्यालय
(डा. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ग) सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली पात्र वस्तुएं तथा सेवाएं न मिलने से संबंधित शिकायतों के समयबद्ध तथा प्रभावी समाधान को सुनिश्चित करने के लिए सरकार एक विधान लाने हेतु प्रतिबद्ध है । तथापि, इस स्तर पर संसद में ऐसे किसी विधेयक को पुर:स्थापित करने हेतु वास्तविक समय सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता है ।

****

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 6622
(06.05.2015 को उत्तर के लिए)

सरकारी ई-मेल

6622. श्रीमती के. मरगथम :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने कर्मचारियों को निजी संदेश भेजने या धर्म, जाति और नस्लवाद के लिए अपमानजनक भाषा वाले किसी विषय या राष्ट्रीय हित के विरूद्ध किसी विषय को भेजने के लिए सरकारी ई-मेल के उपयोग के प्रति सावधान किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी ई-मेल सेवा के अनुचित उपयोग के दस उदाहरण दिये हैं जिनके आधार पर किसी कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय एवं राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री का कार्यालय
(डा. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

****

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 6628
(06.05.2015 को उत्तर के लिए)

सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता

6628. श्री अभिषेक सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन पर क्रियान्वयन के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय एवं राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री का कार्यालय
(डा. जितेन्द्र सिंह)

(क) द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने शासन के विविध पहलुओं के संबंध में भारत सरकार को 15 विषयों पर रिपोर्टें प्रस्तुत की । इनमें की गई 1514 सिफारिशों में से 1183 सिफारिशों को सरकार द्वारा कार्यान्वयन हेतु स्वीकार कर लिया गया है । द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की लगभग सभी रिपोर्टों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने हेतु कतिपय सिफारिशें की गई हैं । इनमें से महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं :-

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कारगर कार्यान्वयन ।
(ii) प्रशासन में लोगों की भागीदारी
(iii) विशिष्ट पहचान प्रणाली ।
(iv) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में संशोधन ।
(v) बेनामी लेनदेन अधिनियम 1988 को कड़ाई से लागू करना ।
(vi) सूचना प्रपाता अधिनियम पारित करना ।

जारी.....2/-

(vii) लोकपाल/लोकायुक्त अधिनियम ।

(viii) आंतरिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण ।

(ix) सामाजिक क्षेत्र की सभी स्कीमों की सामाजिक संपरीक्षा ।

(x) कानूनी व्यवस्था के जरिए ई-गवर्नेंस को प्रोत्साहित करना ।

(xi) सभी सरकारी एजेंसियों द्वारा नागरिक चार्टर को पुन: परिभाषित करना ।

(ख) स्वीकृत सिफारिशों से संबंधित निर्णयों को कार्यान्वयन हेतु सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सूचित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों का शीघ्र कार्यान्वयन करने हेतु सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से अपने सचिव की अध्यक्षता में एक संस्थागत तंत्र का गठन करने का अनुरोध किया गया है ताकि इसके कार्यान्वयन को मॉनीटर किया जा सके। इसी प्रकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भी संबंधित मुख्य सचिवों/प्रशासकों की अध्यक्षता में ऐसे तंत्र का गठन करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) लोक प्रशासन में सुधार स्वाभाविक तौर पर एक सतत प्रक्रिया है जो कार्यकलापों के एक व्यापक क्षेत्र को कवर करता है । इसे प्रक्रियाओं के सरलीकरण, कार्यकारी अनुदेश जारी करने, कानूनों के अधिनियमन आदि के जरिए किया जा सकता है । इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है ।

****

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 6499
(06.05.2015 को उत्तर के लिए)

पिछड़े वर्ग का कल्याण

6499. श्रीमती सकुंतला लागुरी :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की तर्ज पर पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कोई सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उक्त सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और इसके क्या परिणाम निकले ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय एवं राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री का कार्यालय
(डा. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (घ) द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (द्वितीय एआरसी) द्वारा 'संघर्ष समाधान के लिए क्षमता निर्माण : संघर्ष से संयोजन तक' नामक सातवीं रिपोर्ट के पैरा सं. 8.6 में की गई अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) से संबंधित सिफारिशें, तत्संबंधी सरकार का निर्णय और अब तक की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

****

विवरण

अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित मुद्दे के बारे में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 'संघर्ष समाधान के लिए क्षमता निर्माण : संघर्ष से संयोजन तक' नामक सातवीं रिपोर्ट के पैरा सं. 8.6 में उल्लिखित सिफारिशें

क्रम सं.	द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	सरकार का निर्णय	कार्रवाई की वर्तमान स्थिति
1.	**(पैरा 8.6) अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित मुद्दे**		
	(क) सरकार एक सर्वेक्षण की क्रियाविधि तय कर सकती है और अन्य पिछड़े वर्गों का राज्य-वार सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण आयोजित कर सकती है जो उनकी स्थिति सुधारने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का एक आधार बन सकता है ।	सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं ।	(क) भारत का महापंजीयक कार्यालय ने सामाजिक-आर्थिक एवं जातीय जनगणना के संबंध में सूचित किया है कि सभी राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों में प्रगणकों ने क्षेत्रीय डाटा संग्रहण का कार्य कमोबेश पूरा कर लिया है । 30 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार संपूर्ण भारत के लगभग 24.68 लाख प्रगणना ब्लाकों (ईबी) (ईबी के विशेष प्रभारों को छोड़कर) में से 24.67 लाख प्रगणना ब्लाकों अर्थात् 99.9% से भी अधिक में प्रगणकों ने क्षेत्रीय डाटा संग्रहण का कार्य पूरा कर लिया है ।
	(ख) सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के क्षमता निर्माण के लिए एक व्यापक स्कीम तैयार और कार्यान्वित करने की जरूरत है जिससे वे शेष समाज के बराबर आ सकेंगे ।		(ख) सामजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सूचित किया है कि उनकी अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सहायता की एक स्कीम है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ ऐसे केंद्र स्थापित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करना है जो अपिव के कौशलों का उन्नयन करके पात्र अपिव को कौशलों से सुसज्जित करते हैं ताकि वे स्वरोजगार या उजरती रोजगार के माध्यम से आय उपार्जन संबंधी गतिविधियां शुरू कर सकें । इसके अलावा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) पिछड़े वर्गों के पात्र सदस्यों के तकनीकी एवं उद्यमी कौशल के उन्नयन की परियोजना के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) को वित्तीय सहायता प्रदान करता है । एनबीसीएफडीसी द्वारा संचालित कुछ स्कीमें इस प्रकार हैं : एनबीसीएफडीसी की शिक्षा ऋण स्कीम, कृषि संपदा, महिला समृद्धि योजना, एससीए के माध्यम से सूक्ष्म वित्त पोषण, नई स्वर्णिमा, सक्षम, शिल्प संपदा और प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन ।